पत्रांक:-भवन/बजट-86-योजना (पिछड़ा एवं अति पिछड़ा-01/2023-24.....9889 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 16/10/26

विषय:- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2026-27** में कुल **₹ 24,59,288/-(चौबीस लाख उनसठ हजार दो सौ अठासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- **स्वीकृत।**

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, आरा द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग** की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 24,59,288/-(चौबीस लाख उनसठ हजार दो सौ अठासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026-27** में प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	विद्युत भवन प्रमंडल, आरा	34464	Renovation of Electrical wiring & Electrical Installation in Jannayak Karpuri Thakur Chhatrawas in the Campus of Mahila College Dalmiya Nagar, Dehri, Distt.-Rohtas (1st Floor)	102/ 03.12.25	₹12,15,643/- (बारह लाख पन्द्रह हजार छः सौ तैंतालीस रूपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल, आरा	34465	Renovation of Electrical wiring & Electrical Installation in Jannayak Karpuri Thakur Chhatrawas in the Campus of Mahila College Dalmiya Nagar, Dehri, Distt.-Rohtas (Ground Floor)	102/ 03.12.25	₹ 12,43,645/- (बारह लाख तैंतालीस हजार छः सौ पैंतालीस रूपये)
कुल:-					**₹ 24,59,288/-**

(चौबीस लाख उनसठ हजार दो सौ अठासी रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-053-रख रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0101-पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत **विपत्र कोड-03-2059800530101** के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0101.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत उपबंधित राशि से **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27** में किया जाएगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 9889 (अ) पटना, दिनांक:- 16/10/26

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 9889 (अ) पटना, दिनांक:- 16/10/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, आरा/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर, भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैंनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।